अध्याय - 12

केन्द्र सरकार के कार्यालयों के विज्ञापनों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की मुख्य विशेषताएं

12.1 विज्ञापन संप्रेषण का एक ऐसा रूप है जो दर्शकों, पाठकों या श्रोताओं को किसी उत्पाद का क्रय करने अथवा उत्पादों, संकल्पनाओं या सेवाओं के संबंध में कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार के संदेशों के लिए भुगतान सामान्यत प्रायोजकों द्वारा किया जाता है और विभिन्न माध्यमों के जरिए इन संदेशों को देखा सुना या पढ़ा जाता है। विज्ञापन, बड़ी संख्या में, लोगों को कोई संकल्पना संप्रेषित करने का माध्यम भी बन सकता है जिसके माध्यम से लोगों को कोई कदम उठाने के लिए राजी करने का प्रयास किया जाता है।

12.2 विज्ञापन को मुख्यत: दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है नामत: वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक। वाणिज्यिक विज्ञापनदाता अक्सर स्थापित ब्रैंड (मार्क) के जरिए अपने उत्पादों या सेवाओं के उपयोग में बढाेत्तरी करने का प्रयास करते हैं जिसमें ब्रैंड से संबंधित विशेषताओं को उपभोक्ताओं के मन-मस्तिष्क में लाने का प्रयास करते हुए किसी छवि या उत्पाद के नाम की पुनरावृत्ति की जाती है । गैर-वाणिज्यिक विज्ञापनदाता उपयोगिता उत्पाद या सेवा को छोड़कर अन्य वस्तुओं को विज्ञापित करते हैं । गैर-वाणिज्यिक विज्ञापनदाताओं में राजनीतिक दल, विभिन्न समूह, धार्मिक संगठन और सरकारी अधिकरण शामिल है । वाणिज्यिक उत्पादों एवं सेवाओं को बढावा देने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली विज्ञापन संबंधी तकनीकों का प्रयोग गैर-वाणिज्यिक मुद्दों जैसे एचआईवी, एड्स, राजनीतिक विचारधारा, ऊर्जा संरक्षण और वन-कटाई के संबंध में आम जनता को सूचित, शिक्षित और प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है । गैर-वाणिज्यिक विज्ञापन शिक्षा का एक सशक्त साधन है जो कि व्यापक स्तर पर दर्शकों एवं श्रोताओं तक पहुँच बनाने और उन्हें प्रेरित करने में समर्थ है ।

12.3 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध्द और 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने के साथ ही आधुनिक विज्ञापन जगत अस्तित्व में आया । विज्ञापनों के जरिए संदेश देने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें पारंपरिक माध्यम जैसे समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, बैनर एवं होर्डिंग इत्यादि तथा आधुनिक माध्यम जैसे वेबसाइट एवं टेक्सट संदेश शामिल हैं ।

12.4 जैसाकि प्रारंभ में उल्लेख किया गया है कि विज्ञापन संप्रेषण का एक रूप है और इसका प्रभाव एवं पहुँच अधिकांशत: प्रयोग में लाई गई भाषा पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त चूंकि विज्ञापन एक सशक्त माध्यम है, यह भाषा का प्रचार-प्रसार करने के लिए सहायक है । इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए और इस तथ्य को जानते हुए कि लगभग सभी मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक आदि किसी न किसी प्रयोजन से विज्ञापन जारी करते हैं, समिति ने महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आठवें खंड में इस मामले पर विचार किया । समिति ने इस संबंध में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उनपर आदेश जारी किए गए ।

12.5 वर्तमान स्थिति के संदर्भ में इस मुद्दे की पुन: समीक्षा की गई है । दिनांक 1.4.2005 से 30.9.2010 तक की अवधि के दौरान मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों से संबंधित, समिति द्वारा एकत्रित, आंकड़ों का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है:-

अखबारों/पत्रिकाओं, पैम्फलेट, आदि (प्रिंट मीडिया) के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - मंत्रालय/विभाग						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	गृह मंत्रालय	560160	584289	773247	1917696	29.21%
2	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	5550000	6450000	2840000	14840000	37.40%
3	रक्षा मंत्रालय	178914	178915	0	357829	50.00%
4	नौवहन मंत्रालय	29600	29600	29600	88800	33.33%
5	विदेश मंत्रालय	255782	254470	58813	569065	44.95%
6	परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	0	0	लागू नहीं
7	संस्कृति मंत्रालय	1274759	2244956	932528	4452243	28.63%
8	कोरपोरेट कार्य मंत्रालय	8613031	9963277	8161715	26738023	32.21%
9	यूवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	97222	545501	188611	831334	11.69%
10	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	8807361	13315981	60304751	82428093	10.68%
11	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	22377107	35567033	21152430	79096570	28.29%
12	डाक विभाग	10186000	8334000	0	18520000	55.00%
13	जल संसाधन मंत्रालय	1032107	1642376	1765001	4439484	23.25%
14	दूरसंचार विभाग	222065	586499	5104	813668	27.29%
15	रेल मंत्रालय	4249000	3477000	0	7726000	55.00%
16	कृषि एवं सहकारिता विभाग	23495681	5092462	19384479	47972622	48.98%
17	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय	291426	1445626	0	1737052	16.78%
18	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	716636	203853	0	920489	77.85%
19	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	115348859	57729365	90152496	263230720	43.82%

20	शहरी विकास मंत्रालय	6505292	6352272	8903365	21760929	29.89%
21	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2755000	5795837	1900000	10450837	26.36%
22	वाणिज्य विभाग	167357	587705	0	755062	22.16%
23	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	50000000	35000000	25000000	110000000	45.45%
24	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय	819939	1280846	740301	2841086	28.86%
25	सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यम	9266000	8570000	5943000	23779000	38.97%
26	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	286275	238199	92351	616825	46.41%
27	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)	122319	24697	1831909	1978925	6.18%

इलैक्ट्रानिक (टी.वी./फिल्म, आदि) माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - मंत्रालय/विभाग

क्र. सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	गृह मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
2	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	0	0	0	0	लागू नहीं
3	रक्षा मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
4	नौवहन मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
5	विदेश मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
6	परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	0	0	लागू नहीं
7	संस्कृति मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
8	कोरपोरेट कार्य मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
9	यूवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
10	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	20620528	0	11503690	32124218	64.19%
11	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	50960131	0	21257099	72217230	70.57%
12	डाक विभाग	0	0	0	0	लागू नहीं
13	जल संसाधन मंत्रालय	28652336	9451269	31914456	70018061	40.92%
14	दूरसंचार विभाग	0	0	0	0	लागू नहीं

15	रेल मंत्रालय	8548000	0	0	8548000	100.00%
16	कृषि एवं सहकारिता विभाग	0	0	0	0	लागू नहीं
17	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
18	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
19	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
20	शहरी विकास मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
21	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	6453945	4680282	0	11134227	57.96%
22	वाणिज्य विभाग	0	0	0	0	लागू नहीं
23	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	110000000	120000000	110000000	340000000	32.35%
24	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
25	सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यम	0	0	0	0	लागू नहीं
26	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
27	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)	0	0	0	0	लागू नहीं

प्रदर्शन (बैनर, होर्डिंग) आदि के माध्यम से किया गया खर्च - मंत्रालय/विभाग						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	गृह मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
2	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	1500	0	0	1500	100.00%
3	रक्षा मंत्रालय	3111	0	2363	5474	56.83%
4	नौवहन मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
5	विदेश मंत्रालय	14705	325	0	15030	97.84%
6	परमाणु ऊर्जा विभाग	66000	120000	0	186000	35.48%
7	संस्कृति मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं

8	कोरपोरेट कार्य मंत्रालय	5500	2448	0	7948	69.20%
9	यूवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	2600	1300	3900	7800	33.33%
10	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
11	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
12	डाक विभाग	0	0	0	0	लागू नही
13	जल संसाधन मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नही
14	दूरसंचार विभाग	0	0	0	0	लागू नहीं
15	रेल मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
16	कृषि एवं सहकारिता विभाग	0	0	0	0	लागू नहीं
17	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय	19507	19507	0	39014	50.00%
18	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	38837	38837	0	77674	50.00%
19	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	38701000	668234	30930766	70300000	55.05%
20	शहरी विकास मंत्रालय	0	0	0	0	लागू नहीं
21	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	421000	200000	400000	1021000	41.23%
22	वाणिज्य विभाग	0	0	0	0	लागू नहीं
23	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	25000000	17500000	15000000	57500000	43.48%
24	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय	24000	24000	0	48000	50.00%
25	सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यम	0	0	300000	300000	0.00%
26	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	0	0	9400	9400	0.00%
27	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)	0	0	0	0	लागू नहीं

अखबारों/पत्रिकाओं, पैम्फलेट, आदि (प्रिंट मीडिया) के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - बैंक्स						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	18235000	21415000	11550000	51200000	35.62%
2	बैंक ऑफ बड़ौदा	41000000	38000000	21500000	100500000	40.80%
3	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12052837	26094281	3603296	41750414	28.87%
4	आईडीबीआई	17297595	54162630	16981411	88441636	19.56%
5	सिंडिकेट बैंक	77800000	58100000	15400000	151300000	51.42%
6	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	870000	3860000	4670294	9400294	9.26%
7	केनरा बैंक	19007000	13681000	19006000	51694000	36.77%
8	पंजाब नेशनल बैंक	15897000	24094000	10033000	50024000	31.78%
9	इलाहाबाद बैंक	20100000	16400000	4300000	40800000	49.26%
10	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4525000	2878000	319000	7722000	58.60%
11	भारतीय स्टेट बैंक	355800000	438800000	250500000	1045100000	34.04%

इलैक्ट्रानिक (टी.वी./फिल्म, आदि) माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - बैंक्स						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	26120000	4270000	4310000	34700000	75.27%
2	बैंक ऑफ बड़ौदा	43500000	18000000	9000000	70500000	61.70%
3	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	561800	581800	44450	1188050	47.29%
4	आईडीबीआई	13701388	0	538336	14239724	96.22%
5	सिंडिकेट बैंक	4500000	3400000	900000	8800000	51.14%
6	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0	0	518906	518906	0.00%
7	केनरा बैंक	1252000	240000	2225000	3717000	33.68%
8	पंजाब नेशनल बैंक	2224000	1812000	2123000	6159000	36.11%
9	इलाहाबाद बैंक	25800000	17100000	4000000	46900000	55.01%

10	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1223000	0	232000	1455000	84.05%
11	भारतीय स्टेट बैंक	196000000	5000000	40200000	241200000	81.26%

प्रदर्शन (बैनर, होर्डिंग) आदि के माध्यम से किया गया खर्च - बैंक्स						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	11177000	17581000	23492000	52250000	21.39%
2	बैंक ऑफ बड़ौदा	79000000	24000000	40500000	143500000	55.05%
3	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5067700	8598205	368137	14034042	36.11%
4	आईडीबीआई	1156724	34632052	0	35788776	3.23%
5	सिंडिकेट बैंक	7700000	6100000	1200000	15000000	51.33%
6	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	660000	1915000	3095329	5670329	11.64%
7	केनरा बैंक	33084000	42145000	53212000	128441000	25.76%
8	पंजाब नेशनल बैंक	1185205	2418000	924000	4527205	26.18%
9	इलाहाबाद बैंक	26800000	19700000	1900000	48400000	55.37%
10	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	10405000	3525000	4355000	18285000	56.90%
11	भारतीय स्टेट बैंक	280500000	263900000	261600000	806000000	34.80%

अखबारों/पत्रिकाओं, पैम्फलेट, आदि (प्रिंट मीडिया) के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	नेशनल फर्टिलाइजर लि0	4171674	3445811	8227140	15844625	26.33%
2	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0	16639047	108587309	81215442	206441798	8.06%
3	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	161538000	203858000	122449000	487845000	33.11%
4	बीईएमएल लि0	568000	3999000	0	4567000	12.44%
5	न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	8223831	17874887	1522363	27621081	29.77%
6	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लि0	248000	800500	1777000	2825500	8.78%
7	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0	37000000	77600000	18600000	133200000	27.78%

8	ईआईएल	1809659	0	0	1809659	100.00%
9	टीसीआईएल	471645	503239	0	974884	48.38%
10	पॉवर ग्रिट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0	19370212	36216139	3918711	59505062	32.55%
11	भारतीय पर्यटन विकास निगम	4318000	13337000	171000	17826000	24.22%
12	भारतीय खाद्य निगम	1239483	1191050	4618796	7049329	17.58%
13	थर्मल हाइड्रो डेवलपमेमंट कार्पोरेशन इंडिया लि0	3033579	1574256	0	4607835	65.84%
14	भारतीय भंडारण निगम	462250	506500	0	968750	47.72%
15	न्यूक्लियर हाइड्रो पॉवर कार्पोरेशन	2271200	1554735	0	3825935	59.36%
16	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि0	14300000	12478000	9818060	36596060	39.08%
17	नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन	14286177	11240148	1938558	27464883	52.02%
18	दि ओरियंटल इंश्योरेंस कं0 लि0	15992897	21200335	2409822	39603054	40.38%
19	हिन्दुस्तार कॉपर लि0	1581488	10150856	244571	11976915	13.20%
20	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि0	550600	814400	880000	2245000	24.53%
21	आवास एवं शहरी विकास निगम लि0 (हुडको)	678182	558061	3494677	4730920	14.34%
22	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि0 (एनबीसीसी)	2547552	3299900	0	5847452	43.57%
23	कोल इंडिया लि0	3340000	39941000	0	43281000	7.72%
24	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि0	36600000	6500000	10000000	53100000	68.93%
25	भारतीय जीवन बीमा निगम	195590000	286178000	141565000	623333000	31.38%
26	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	60188034	65730684	9421601	135340319	44.47%
27	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी	30236680	38691141	11885024	80812845	37.42%

इलैक्ट्रानिक (टी.वी./फिल्म, आदि) माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	नेशनल फर्टिलाइजर लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
2	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0	110561309	72000000	52099010	234660319	47.12%
3	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	210270000	90834000	105907000	407011000	51.66%
4	बीईएमएल लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
5	न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	55000	527000	0	582000	9.45%
6	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
7	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0	108900000	52600000	7000000	168500000	64.63%
8	ईआईएल	0	0	0	0	लागू नहीं
9	टीसीआईएल	0	0	0	0	लागू नहीं
10	पॉवर ग्रिट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
11	भारतीय पर्यटन विकास निगम	0	0	0	0	लागू नहीं
12	भारतीय खाद्य निगम	0	0	0	0	लागू नहीं
13	थर्मल हाइड्रो डेवलपमेमंट कार्पोरेशन इंडिया लि0	250000	0	0	250000	100.00%
14	भारतीय भंडारण निगम	0	0	0	0	लागू नहीं
15	न्यूक्लियर हाइड्रो पॉवर कार्पोरेशन	351602	0	0	351602	100.00%
16	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
17	नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन	937485	500000	300000	1737485	53.96%
18	दि ओरियंटल इंश्योरेंस कं0 लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
19	हिन्दुस्तार कॉपर लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
20	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि0	300600	469000	780400	1550000	19.39%
21	आवास एवं शहरी विकास निगम लि0 (हुडको)	0	0	0	0	लागू नहीं
22	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि0 (एनबीसीसी)	0	0	0	0	लागू नहीं

23	कोल इंडिया लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
24	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि0	4695000	1500000	2500000	8695000	54.00%
25	भारतीय जीवन बीमा निगम	453557000	134125000	869190000	1456872000	31.13%
26	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	2353400	4600000	0	6953400	33.85%
27	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी	40570792	26387672	28537187	95495651	42.48%

प्रदर्शन (बैनर, होर्डिंग) आदि के माध्यम से किया गया खर्च - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	नेशनल फर्टिलाइजर लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
2	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0	8601627	9621350	2701381	20924358	41.11%
3	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	61546700	74175000	86067000	221788700	27.75%
4	बीईएमएल लि0	56000	61000	0	117000	47.86%
5	न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	15000	30000	5000	50000	30.00%
6	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लि0	195000	115000	95500	405500	48.09%
7	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0	18200000	14900000	1500000	34600000	52.60%
8	ईआईएल	0	0	0	0	लागू नहीं
9	टीसीआईएल	0	0	0	0	लागू नहीं
10	पॉवर ग्रिट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0	5921380	6071380	0	11992760	49.37%
11	भारतीय पर्यटन विकास निगम	0	0	0	0	लागू नहीं
12	भारतीय खाद्य निगम	0	0	0	0	लागू नहीं
13	थर्मल हाइड्रो डेवलपमेमंट कार्पोरेशन इंडिया लि0	48864	10896	0	59760	81.77%
14	भारतीय भंडारण निगम	590000	596230	10000	1196230	49.32%
15	न्यूक्लियर हाइड्रो पॉवर कार्पोरेशन	1585120	770450	82725	2438295	65.01%
16	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि0	0	0	0	0	लागू नहीं

17	नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन	1327386	1018842	82500	2428728	54.65%
18	दि ओरियंटल इंश्योरेंस कं0 लि0	53289070	46672577	24186151	124147798	42.92%
19	हिन्दुस्तार कॉपर लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
20	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि0	1077700	951125	848500	2877325	37.45%
21	आवास एवं शहरी विकास निगम लि0 (हुडको)	0	0	0	0	लागू नहीं
22	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि0 (एनबीसीसी)	0	0	0	0	लागू नहीं
23	कोल इंडिया लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
24	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि0	27400000	2900000	9200000	39500000	69.37%
25	भारतीय जीवन बीमा निगम	226638000	214572000	143695000	584905000	38.75%
26	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	87025972	96886576	24012780	207925328	41.85%
27	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी	4471587	2058259	8700000	15229846	29.36%

अखबारों/पत्रिकाओं, पैम्फलेट, आदि (प्रिंट मीडिया) के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - सेवा प्रदाता

क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	महानगर टेलीफोन निगम लि0	24892552	137787108	31720141	194399801	12.80%
2	भारत संचार निगम लि0	45000000	87000000	400000	132400000	33.99%
3	दूरदर्शन महानिदेशालय	2511480	1535074	554546	4601100	54.58%

इलैक्ट्रानिक (टी.वी./फिल्म, आदि) माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - सेवा प्रदाता

क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	महानगर टेलीफोन निगम लि0	34172258	0	0	34172258	100.00%
2	भारत संचार निगम लि0	511300000	44200000	138400000	693900000	73.68%
3	दूरदर्शन महानिदेशालय	0	0	0	0	लागू नहीं

प्रदर्शन (बैनर, होर्डिंग) आदि के माध्यम से किया गया खर्च - सेवा प्रदाता						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	महानगर टेलीफोन निगम लि0	37276458	5571641	0	42848099	87.00%
2	भारत संचार निगम लि0	0	0	0	0	लागू नहीं
3	दूरदर्शन महानिदेशालय	418826	0	40614	459440	91.16%

अखबारों/पत्रिकाओं, पैम्फलेट, आदि (प्रिंट मीडिया) के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - केन्द्रीय राजस्व संस्थान						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	73874636	64951840	63118890	201945366	36.58%

इलैक्ट्रानिक (टी.वी./फिल्म, आदि) माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - केन्द्रीय राजस्व संस्थान						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	41090277	11891786	25537325	78519388	52.33%

प्रदर्शन (बैनर, होर्डिंग) आदि के माध्यम से किया गया खर्च - केन्द्रीय राजस्व संस्थान						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	0	0	0	0	लागू नहीं

अखबारों/पत्रिकाओं, पैम्फलेट, आदि (प्रिंट मीडिया) के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - विविध						
क्र.सं	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय	390203	236151	267757	894111	43.64%
2	नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट	22504	22504	0	45008	50.00%
3	तेल उद्योग विकास बोर्ड	767144	675344	352318	1794806	42.74%
4	अधयक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड	0	0	709645	709645	0.00%
5	वायु सेना मुख्यालय	0	0	23500000	23500000	0.00%
6	एकीकृत मुख्यालय नौसेना	18533535	36773960	20451822	75759317	24.46%

7	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	5000	14016	10000	29016	17.23%
8	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	384936	384936	0	769872	50.00%
9	भारतीय खेल प्राधिकरण	240000	351000	22000	613000	39.15%
10	नेहरू युवा केन्द्र	721497	743285	0	1464782	49.26%
11	भारतीय महापंजीयक	2036000	10000	2275000	4321000	47.12%
12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2751191	4887580	0	7638771	36.02%
13	इंस्टीटयूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटिग्रेटिड बायलॉजी	100963	292122	0	393085	25.68%
14	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	351721	525328	0	877049	40.10%
15	राष्ट्रीय ओसियनोग्राफी संस्थान	243950	263774	0	507724	48.05%
16	महानिदेशालय मौसम विज्ञान	70230	151294	0	221524	31.70%
17	पादप संरक्षण, संघरोध तथा भंडारण निदेशालय	991694	335746	643351	1970791	50.32%
18	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय	1621873	858370	1271872	3752115	43.23%
19	केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद्	641654	2733758	35693	3411105	18.81%
20	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, नई दिल्ली	241540	357028	99752	698320	34.59%
21	भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण	14653	38941	131073	184667	7.93%
22	भारतीय वन सर्वेक्षण	26040	9600	0	35640	73.06%
23	विदेश व्यापार महानिदेशालय	0	0	0	0	लागू नहीं
24	आयुष	17081069	19471654	800000	37352723	45.73%
25	केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिध्द अनुसंधान परिषद	1648200	1642700	847000	4137900	39.83%
26	खादी व ग्रामोद्योग आयोग	1195000	581000	0	1776000	67.29%
27	कॉयर बोर्ड	39600	5981823	478775	6500198	0.61%
28	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	65525811	58329248	2076240	125931299	52.03%
29	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	13000000	19800000	19500000	52300000	24.86%
30	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण	955000	986000	0	1941000	49.20%
31	राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण कार्यालय	630787	837442	509109	1977338	31.90%
32	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड	543563	1580795	2051106	4175464	13.02%

इलैक्ट्रानिक (टी.वी./फिल्म, आदि) माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किया गया खर्च - विविध						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय	0	0	0	0	लागू नहीं
2	नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट	0	0	0	0	लागू नहीं
3	तेल उद्योग विकास बोर्ड	0	0	0	0	लागू नहीं
4	अधयक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड	0	0	0	0	लागू नहीं
5	वायु सेना मुख्यालय	0	0	4000000	4000000	0.00%
6	एकीकृत मुख्यालय नौसेना	8332644	12498967	0	20831611	40.00%
7	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	0	0	0	0	लागू नहीं
8	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	0	0	0	0	लागू नहीं
9	भारतीय खेल प्राधिकरण	0	0	0	0	लागू नहीं
10	नेहरू युवा केन्द्र	0	0	0	0	लागू नहीं
11	भारतीय महापंजीयक	37621000	0	41067000	78688000	47.81%
12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	0	0	0	0	लागू नहीं
13	इंस्टीटयूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटिग्रेटिड बायलॉजी	0	0	0	0	लागू नहीं
14	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	0	0	0	0	लागू नहीं
15	राष्ट्रीय ओसियनोग्राफी संस्थान	0	0	0	0	लागू नहीं
16	महानिदेशालय मौसम विज्ञान	0	0	0	0	लागू नहीं
17	पादप संरक्षण, संघरोध तथा भंडारण निदेशालय	0	0	0	0	लागू नहीं
18	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय	0	0	0	0	लागू नहीं
19	केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद्	2664728	3971314	0	6636042	40.16%

20	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, नई दिल्ली	0	0	0	0	लागू नहीं
21	भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण	0	0	0	0	लागू नहीं
22	भारतीय वन सर्वेक्षण	0	0	0	0	लागू नहीं
23	विदेश व्यापार महानिदेशालय	0	0	0	0	लागू नहीं
24	आयुष	68908229	65408229	26940930	161257388	42.73%
25	केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिध्द अनुसंधान परिषद	141000	303000	42000	486000	29.01%
26	खादी व ग्रामोद्योग आयोग	0	0	0	0	लागू नहीं
27	कॉयर बोर्ड	243820	3273270	0	3517090	6.93%
28	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	50778234	0	0	50778234	100.00%
29	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	395000	700000	0	1095000	36.07%
30	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण	0	0	0	0	लागू नहीं
31	राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण कार्यालय	2072757	482060	4143919	6698736	30.94%
32	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड	0	0	0	0	लागू नहीं

प्रदर्शन (बैनर, होर्डिंग) आदि के माध्यम से किया गया खर्च - विविध						
क्र.सं.	संगठन का नाम	हिन्दी (रुपए में)	अंग्रेजी (रुपए में)	अन्य (रुपए में)	कुल (रुपए में)	हिन्दी की प्रतिशतता
1	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय	0	0	0	0	लागू नहीं
2	नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट	231100	0	0	231100	100.00%
3	तेल उद्योग विकास बोर्ड	0	0	0	0	लागू नहीं
4	अधयक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड	0	0	0	0	लागू नहीं
5	वायु सेना मुख्यालय	0	0	0	0	लागू नहीं
6	एकीकृत मुख्यालय नौसेना	3959084	5938627	0	9897711	40.00%
7	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	0	0	0	0	लागू नहीं

8	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	0	14434	0	14434	0.00%
9	भारतीय खेल प्राधिकरण	3000	3000	0	6000	50.00%
10	नेहरू युवा केन्द्र	0	0	0	0	लागू नहीं
11	भारतीय महापंजीयक	4087000	0	7410000	11497000	35.55%
12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	0	0	0	0	लागू नहीं
13	इंस्टीटयूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटिग्रेटिड बायलॉजी	0	0	0	0	लागू नहीं
14	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	60000	60000	0	120000	50.00%
15	राष्ट्रीय ओसियनोग्राफी संस्थान	0	0	0	0	लागू नहीं
16	महानिदेशालय मौसम विज्ञान	0	0	0	0	लागू नहीं
17	पादप संरक्षण, संघरोध तथा भंडारण निदेशालय	0	0	0	0	लागू नहीं
18	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय	0	0	0	0	लागू नहीं
19	केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद्	0	0	0	0	लागू नहीं
20	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, नई दिल्ली	0	0	0	0	लागू नहीं
21	भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण	14564	121520	0	136084	10.70%
22	भारतीय वन सर्वेक्षण	1200	0	0	1200	100.00%
23	विदेश व्यापार महानिदेशालय	4800	2400	0	7200	लागू नहीं
24	आयुष	21836494	21836494	21533169	65206157	33.49%
25	केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिध्द अनुसंधान परिषद	0	0	0	0	लागू नहीं
26	खादी व ग्रामोद्योग आयोग	0	0	0	0	लागू नहीं
27	कॉयर बोर्ड	0	22684104	27000	22711104	0.00%
28	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	9923763	9391811	0	19315574	51.38%
29	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	0	0	0	0	लागू नहीं
30	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण	658000	653000	0	1311000	50.19%
31	राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण कार्यालय	3500	0	0	3500	100.00%
32	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड	9911	16360	10000	36271	27.32%

12.6 उपर्युक्त आंकड़ों का अवलोकन करने पर यह देखा जा सकता है कि कुछेक मंत्रालयों को छोड़कर अधिकांश मंत्रालय/विभाग/उपक्रम समिति द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश के अनुसरण में इलेक्ट्रोनिक माध्यम, बैनर/होर्डिंग के जरिए जारी किए गए विज्ञापनों पर कुल बजट का 50% व्यय कर रहे हैं । लेकिन, जब हम प्रिंट मीडिया अर्थात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पेंपऊलेट आदि के जरिए जारी किए गए विज्ञापनों का अवलोकन करते हैं, इस प्रवृत्ति में अंतर पाते हैं । मंत्रालय/विभाग/उपक्रम हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी विज्ञापनों पर अधिक व्यय कर रहे हैं । परिचालन लेखा परीक्षा ब्यूरो (ए.बी.सी.) द्वारा जारी परिचालन संबंधी अद्यतन आंकड़ों का विवरण निम्नानुसार है:-

भाषा	**कुल दैनिक वितरण**		
	जनवरी-जून, 2010	जुलाई-दिसम्बर, 2009	जनवरी-जून, 2009
क्षेत्रीय भाषा	25399029	23531326	22165484
हिन्दी	14828908	13427458	12923725
अंग्रेजी	11042293	10955805	9002718

शीर्ष दैनिक वितरण					
रैंक	**प्रकाशन**	**भाषा**	जनवरी-जून, 2010	जुलाई-दिसम्बर, 2009	जनवरी-जून, 2009
1.	टाइम्स ऑफ इंडिया	अंग्रेजी	3545594	3325983	2928805
2.	दैनिक भास्कर	हिन्दी	2816017	2633037	2577311
3.	दैनिक जागरण	हिन्दी	2505881	2383582	2541326
4.	मलयाला मनोरमा	मलयालम	1802375	1758982	1703159
5.	लोकमत	मराठी	1587559	1285412	1132099
6.	ईनाडु	तेलुगु	1491194	1273593	1315552
7.	हिन्दुस्तान	हिन्दी	1416028	1299153	1054508
8.	साक्षी	तेलुगु	1413728	1217534	1255940
9.	दि हिन्दू	अंग्रेजी	1395216	1465183	1359541
10.	डेक्कन क्रॉनिकल	अंग्रेजी	1386022	1378730	1349569
11.	राजस्थान पत्रिका	हिन्दी	1352459	1330834	729939
12.	दिनाकरण	तमिल	1328437	1234756	1134115
13.	अमर उजाला	हिन्दी	1276140	937235	1231295
14.	दैनिक थांथी	तमिल	1218864	1170523	1113385

12.7 उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि कुल दैनिक परिचालन में क्षेत्रीय भाषाओं के सभी दैनिक समाचार पत्रों का परिचालन सर्वाधिक है उनके बाद हिंदी का स्थान आता है और परिचालन की दृष्टि से अंग्रेजी का स्थान सबसे नीचे है । यहीं नहीं, शेष परिचालित दैनिक समाचार पत्रों की सूची का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट है कि अंग्रेजी दैनिक 'The Times of India' के अलावा केवल 2 अन्य अंग्रेजी समाचार पत्र ऐसे हैं जिन्हें शीर्ष 14 समाचार पत्रों की सूची में स्थान प्राप्त हैं । आंकड़ों का आगे और मूल्यांकन करने पर यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त तालिका में एकत्रित परिचालन संबंधी आंकड़े निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भाषा	कुल वितरण	प्रतिशतता वितरण
1	हिन्दी	9366525	38.18%
2	क्षेत्रीय भाषाएं	8842157	36.04%
3	अंग्रेजी	6326832	25.79%

12.8 यह निष्कर्ष चौंकाने वाला नहीं हैं यह तो इस स्थापित तथ्य की ही पुष्टि करता है कि हिंदी भाषा की पहुँच सर्वाधिक है । हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्रालय/विभाग/उपक्रम अभी भी अंग्रेजी विज्ञापन पर अधिक व्यय कर रहे हैं । समिति की राय में हिंदी में विज्ञापन जारी करने के निम्नलिखित मजबूत आधार है:-

क) अंग्रेजी समाचार पत्रों का परिचालन सबसे कम है और इस प्रकार स्वत: ही पाठकों तक इनकी पहुँच (पाठक संख्या के आधार पर) सबसे कम है ।

ख) हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों की तुलना में अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन देने में अधिक व्यय करना पड़ता है ।

ग) अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन देना न सिर्फ सरकार की नीति (राजभाषा हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढावा देना) के विरूध्द है बल्कि इस अध्याय के प्रारंभिक पैराग्राफ में उल्लिखित विज्ञापन के मूलभूत सिध्दांतों के भी विरूध्द है ।

घ) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या के 6% से कम लोग ही अंग्रेजी समझते हैं ।

ड.) दूतावासों एवं बहु-राष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत कुछ लोगों को छोड़कर भारत में ऐसे व्यक्ति का होना लगभग असंभव है जो केवल अंग्रेजी समझता है । वह व्यक्ति अंग्रेजी के साथ हिंदी अथवा किसी एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान अवश्य रखता होगा लेकिन केवल अंग्रेजी का नहीं ।

च) भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाये, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके । किसी भी भाषा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम उसका साहित्य होता है । इलेक्ट्रोनिक, फिल्म आदि के मौजूदा युग में किसी साहित्य के लिए एकमात्र प्रतिबध्द माध्यम समाचार पत्र है । सरकार द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर व्यय की गई धनराशि से हिंदी के प्रयोग के व्यापक प्रचार-प्रसार को

बढावा देने और इसे विकसित करने में भी मदद मिलेगी । हिंदी विज्ञापन को बढावा देकर हिंदी समाचार पत्रों को समर्थन देना एक ऐसी सकारात्मक पहल हो सकती है ।

12.9 समिति ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और निरीक्षण बैठकों में उपस्थित निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों और मंत्रालयों/मुख्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा की। इस चर्चा में जो तथ्य सामने आए उनका विवरण निम्नानुसार है:-

i) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसरण में कतिपय दस्तावेजों (अत: कतिपय विज्ञापन) को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है।

ii) हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों की तुलना में अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन देने में अधिक व्यय करना पड़ता है।

iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर अन्य सभी मंत्रालय/विभाग विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालाय डीएवीपी (DAVP) के माध्यम से अपने विज्ञापन जारी करते हैं। डीएवीपी यह तय करता है कि विज्ञापनों का प्रकाशन किन समाचार पत्रों में किया जाना है।

12.10 इस मुद्दे पर आगे बढने से पहले समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठवें खंड में समिति द्वारा की गई संस्तुतिओं पर विचार करना प्रासांगिक होगा । समिति ने यह संस्तुति दी थी कि किसी भी रूप में विज्ञापन देने पर किए गए कुल व्यय का 50% व्यय हिंदी विज्ञापनों पर और शेष 50% व्यय क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी के विज्ञापनों पर किया जाए । इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के आदेश जारी किए जाने से पहले सभी मंत्रालयों से समिति की इस संस्तुति के बारे विचार आमंत्रित किए गए थे । निम्नलिखित केवल 5 मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर डीएवीपी सहित अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों ने समिति की इस सिफारिश के पक्ष में अपने विचार रखे:-

i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

ii) रक्षा मंत्रालय

iii) कृषि मंत्रालय

iv) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

v) रसायन विभाग (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)

12.11 इस संबंध में उल्लेखनीय है कि महामहिम राष्ट्रपति ने कुल व्यय का 50% हिंदी विज्ञापनों पर खर्च करने संबंधी समिति की सिफारिश को आंशिक रूप से स्वीकार किया । महामहिम राष्ट्रपति ने आदेश दिए कि यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली जाए कि मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें ।

12.12 इस समस्या का निराकरण करने के लिए समिति ने 7.9.2010 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सहित अन्य के साथ-साथ महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को भी मौखिक साक्ष्य के लिए आमंत्रित किया । इस बैठक में डीएवीपी से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया । डीएवीपी के प्रमुख ने समिति को बताया कि अक्तूबर, 2007 से लागू मंत्रालय की विज्ञापन नीति के अनुसार 35% व्यय हिंदी विज्ञापनों पर, 35% व्यय अंग्रेजी विज्ञापनों पर और शेष 30% क्षेत्रीय भाषाओं के विज्ञापनों पर किया जाना है।

12.13 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की यह विज्ञापन नीति जिसकी अनुपालना डीएवीपी द्वारा की जाती है निम्नलिखित कारणों से विरोधाभासी है-

i) समिति द्वारा जब विज्ञापन संबंधी अपनी संस्तुति पर विचारसुझाव आमंत्रित किए गए तो डीएवीपी ने 50% व्यय हिंदी विज्ञापन पर करने संबंधी समिति की संस्तुति का समर्थन किया।

ii) यद्यपि डीएवीपी विज्ञापन जारी करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है तथापि विज्ञापन पर किया गया व्यय संबंधित मंत्रालय द्वारा अपने बजट से वहन किया जाता है इसलिए डीएवीपी द्वारा विज्ञापन जारी करने वाले मंत्रालय की नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

iii) कुछ मामलों में डीएवीपी अपनी विज्ञापन नीति का ही पालन नहीं कर रहा है और अंग्रेजी विज्ञापन पर 35% से अधिक व्यय कर रहा है ।

12.14 समिति द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के माध्यम से डीएवीपी की विज्ञापन नीति में संशोधन करने और इसे समिति की सिफारिश के अनुरूप बनाने के लिए लिखा गया है । हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के विज्ञापनों की दरों की तुलना में अंग्रेजी विज्ञापनों की दरों में अन्तर के संबंध में समिति के निम्नलिखित सुझाव हैं:-

i) जहां तक संभव हो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं;

ii) यदि विज्ञापन को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य हो तो उसे डिग्लॉट रूप में जारी किया जाए;

iii) लागत को समान रखने के लिए हिन्दी के विज्ञापन बडे आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं।

12.15 दिनांक 1.4.2005 से 30.9.2010 (प्रतिवेदन के नौवें खंड की अवधि) की तुलना में दिनांक 1.1.2002 से 31.3.2005 (प्रतिवेदन के आठवें खंड की अवधि) में विज्ञापनों पर किया गया औसत व्यय निम्नानुसार है:-

विज्ञापन का प्रकार	**01.01.2002 से 31.03..2005 (प्रतिशत में) के दौरान हिन्दी के विज्ञापनों पर औसत व्यय**	**01.04.2005 से 30.09..2010 (प्रतिशत में) के दौरान हिन्दी के विज्ञापनों पर औसत व्यय**
	बैंक	
प्रिंट मीडिया	30.47	35.99
इलेक्ट्रानिक मीडिया	41	56.52
बैनर एंड होर्डिंग	35.55	34.34
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	

हिन्दी की प्रतिशतता	30.19	35.51
हिन्दी की प्रतिशतता	45	50.63
हिन्दी की प्रतिशतता	41.6	47.48
सेवा प्रदाता		
हिन्दी की प्रतिशतता	25.28	33.79
हिन्दी की प्रतिशतता	70.5	86.84
हिन्दी की प्रतिशतता	14.28	89.08
केन्द्रीय राजस्व संगठन		
हिन्दी की प्रतिशतता	28.5	36.58
हिन्दी की प्रतिशतता	87	52.33
हिन्दी की प्रतिशतता	0	0
अन्य		
हिन्दी की प्रतिशतता	38.93	35.4
हिन्दी की प्रतिशतता	21	37.36
हिन्दी की प्रतिशतता	56	46.33

12.16 उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश न होने के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में हिंदी विज्ञापनों पर किए गए औसत व्यय में वृध्दि हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि देश में हिंदी भाषा की सर्वाधिक पहुँच है और विज्ञापनों को लक्षित पाठकों तक पहुँचाकर प्रभावोत्पादक बनाने के लिए विज्ञापन हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में होने चाहिए । इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित किए जाने से विज्ञापनों पर कुल व्यय का 50% व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करने का लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त किया जा सकता है । इससे न सिर्फ राजभाषा हिंदी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की सरकार की नीति को कार्यान्वित किया जा सकेगा बल्कि इससे हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाएं जानने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे । इसके परिणामस्वरूप हिंदी समाचार पत्रों को अपेक्षित सहयोग एवं समर्थन मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी साहित्य में अभिवृध्दि होगी ।

12.17 उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में समिति निम्नलिखित सिफारिशें करती है:-

i) समिति पुनः संस्तुति करती है कि किसी भी स्थिति में कम से कम 50% धन हिन्दी विज्ञापनों पर तथा शेष 50% क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी पर किया जाए।

ii) जहाँ तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं ।

iii) जहाँ विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करने आवश्यक हों वहाँ उन्हें डिग्लॉट रूप में दिया जाए।

iv) लागत को समान रखने के लिए हिन्दी के विज्ञापन बडे आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं।

****